

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा  
पीठासीन अधिकारी: श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 44/2019 (अपील)  
जी.सी.एम.एस. नं. - 2019/0001ए3

उनवान

1. मृतक बलराम आत्मज माधोलाल जाति धाकड निवासी जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा ।
2. विष्णु प्रसाद आत्मज बलराम जाति धाकड
3. जगदीश प्रसाद आत्मज बलराज जाति धाकड
4. प्रेमचन्द आत्मज बलराम जाति धाकड निवासीगण जोरावरपुरा तहसील पीपल्दा ।

बनाम

( अपीलान्त )



श्री पीताम्बर महाराज करवाड, जय्ये व्यवस्थापक :-

1. भोजराज सिंह आत्मज स्व. गिरवर सिंह जाति राजपूत
2. युधिष्ठिर सिंह आत्मज स्व. गिरवर सिंह जाति राजपूत निवासीगण करवाड तहसील पीपल्दा कोटा ।
3. सरकार जय्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

(रिस्पोंडेन्टस)

उपस्थित अभिभाषक :- श्री जगदीश नन्दवाना, (अपीलान्त )  
श्री संग्राम सिंह (रिस्पोंडेन्टस क्र.1 व 2 )

अपील बनाराजगी नामान्तरकरण सं. 801 दिनांक 5.06.2017

न्यायालय तहसीलदार पीपल्दा

निर्णय

दिनांक:- 7/5/2025

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूर्ति श्री पीताम्बर जी के व्यवस्थापक की मृत्यु होने पर बिना किसी संक्षम न्यायालय या अधिकारी से मूर्ति के व्यवस्थापक के संबंध में आदेश के मृतक व्यवस्थापक के वारिसों को व्यवस्थापक मानते हुए नाम दर्ज करने में भारी त्रुटि की है। मूर्ति का व्यवस्थापक कोन होगा का निर्णय करने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय या देवस्थान विभाग को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूर्ति के व्यवस्थापक कोन है की जाँच किये बिना व्यवस्थापक के वारिसों के नाम फोती नामान्तरकरण दर्ज करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज अपीलान्त को बिना सूचित किये तथा बिना जाँच किये आदेश दिया है जबकि जमाबंदी में अपीलान्त के नाम दर्ज है।

अति. जिला कलेक्टर  
कोटा


1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the sampling techniques employed and the statistical tests used to evaluate the results.

3. The final part of the document provides a summary of the findings and conclusions. It highlights the key areas where discrepancies were identified and offers recommendations for improving the internal control system.

अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी सर्वप्रथम राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार अपील में इंतकाल की नकल पेश करने पर तहसील से नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 5.11.2019 को हुई, तारीख जानकारी के पूर्व की अवधि कन्डोन होने योग्य है तथा अपील तारीख जानकारी से अवधि मध्य प्रस्तुत है। गिरवर सिंह के वारिसों में गिरवर सिंह की पुत्रियां देवेन्द्र कुमारी, यादवेन्द्र कुमारी, कोशलेन्द्र कुमारी, राघवेन्द्र कुमारी ने वारिस का नाम दर्ज होने पर अपने भाइयों के पक्ष में रिलीज दिनांक 7.6.2017 को कर देने से नाम तर्क कर दिया है जिससे इन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा जमाबंदी में अपीलान्त के भाई रामेश्वर का नाम दर्ज है जो फोत हो चुका है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 801 निरस्त फरमावें।



अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी हुई। रेस्पोंडेंट क.1 व 2 की ओर से अभिभाषक संग्राम सिंह सोलंकी द्वारा विकालतनामा पेश किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्त द्वारा यह अपील तहसीलदार पीपल्दा के नामान्तरकरण संख्या 801 दिनांक 5.06.2017 के विरुद्ध दिनांक 4.12.2019 को पेश हुई है, जो विलम्ब से पेश हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी सर्वप्रथम राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार अपील में इंतकाल की नकल पेश करने पर तहसील से नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 5.11.2019 को होना अवगत करवाया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील अपीलान्त द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूर्ति श्री पीताम्बर जी के व्यवस्थापक की मृत्यु होने पर बिना किसी संक्षम न्यायालय या अधिकारी से मूर्ति के व्यवस्थापक के संबन्ध में आदेश के मृतक व्यवस्थापक के वारिसों को व्यवस्थापक मानते हुए नाम दर्ज करने में भारी त्रुटि की है। मूर्ति का व्यवस्थापक कोन होगा का निर्णय करने का एक मात्र अधिकार सिविल न्यायालय या देवस्थान विभाग को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूर्ति के व्यवस्थापक कोन है की जाँच किये बिना व्यवस्थापक के वारिसों के नाम फोती नामान्तरकरण दर्ज करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज अपीलान्त को बिना सूचित किये तथा बिना जाँच किये आदेश दिया है जबकि जमाबंदी में अपीलान्त के नाम दर्ज है।

वकील अपीलान्त द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त DNJ (Raj.) 2013 (3) पेश किए।

—/—

आंत. जिला कलक्टर  
कोटा



वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजी रेस्पोजेन्ट की निजी भूमि है इस संबध में न्यायालय जागीर कमिश्नर जयपुर द्वारा भी आदेश जारी किए है। वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा उक्त आराजी के संबध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में भी वाद विचाराधीन होना अवगत करवाया। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 801 दिनांक 5.06.2017 सही है। अतः अपील खारिज किये जावे।


वकील पक्षकारान की बहस सुननें के पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्त द्वारा उक्त अपील तहसीलदार पीपल्दा के नामान्तरकरण संख्या 801 दिनांक 5.06.2017 के विरुद्ध पेश की गई है। न्यायालय वकील रेस्पोजेन्ट के तर्क एवं बहस से सहमत है कि उक्त आराजी के संबध में न्यायालय जागीर कमिश्नर जयपुर द्वारा पारित आदेश 12.3.1963 से ग्राम सौभागपुरा तहसील पीपल्दा में स्थित मंदिर श्री पीताम्बर महाराज के नाम दर्ज भूमि को निजी सम्पति धोषित किया गया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 801 दिनांक 5.06.2017 में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक.....7/5/26.....को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा



  
(वीरेन्द्र सिंह यादव)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
कोटा

21-1